संख्या–2831 / सत्रह–म–2013 / 6–9(291) / 2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **संबंधित मण्डलायुक्त,**
   उ0प्र0।
2. **संबंधित जिलाधिकारी**
   उ0प्र0।
3. **निदेशक,**
   मत्स्य विभाग
   उ0प्र0, लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग   लखनऊः दिनांक 30 दिसम्बर, 2013

विषयः राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही इन्टीग्रेटेड फिश फार्मिंग डिमांस्ट्रेशन साइट्स का विकास परियोजना का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदेश की विकास योजनाओं में उनका वाजिब हक दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत मात्राकरण अल्पसंख्यकों हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि प्रदेश में चलने वाली विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक न्याय की परिधि में लाते हुए उन्हें न्यायोचित हिस्सा मिल सके तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके ।

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–1533 / 52–3–2013सा(30) / 13, दिनांक 24.08.2013 निर्गत किया गया है। शासनादेश में चिन्हित कल्याणकारी योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सम्मिलित है। मत्स्य विभाग की यह **इन्टीग्रेटेड फिश फार्मिंग डिमांस्ट्रेशन साइट्स का विकास परियोजना** भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत संचालित की जा रही है। यह योजना लाभार्थी परक है।

2– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31.07.2013 तक भौतिक प्रगति को वार्षिक लक्ष्य से घटाते हुए अवशेष लक्ष्य में से 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मात्राकरण करते हुए जनपदवार फॉट निर्धारित कर दिया

जाय। तद्नुसार योजनान्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्य की जनपदवार फॉट संलग्नक–क पर है, इसके आधार पर ही जनपदवार लक्ष्य की प्राप्ति की जानी है।

3– योजना में अल्पसंख्यकों हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी । यदि किसी विशेष कारण से लक्ष्य प्राप्ति हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति तथा मुख्य सचिव के माध्यम से शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अल्पसंख्यकों के अवशेष लक्ष्य को अन्य समुदाय के लोगों से पूर्ण कर लिया जायेगा।

4– उपरोक्त योजना की समीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप की प्रति संलग्नक–ख पर संलग्न की जा रही है। इस प्रारूप पर प्रत्येक माह 07 तारीख तक वांछित विवरण / सूचना जनपद के जिलाधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को तथा शासन के संबंधित विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विभाग, परीक्षणोपरान्त प्रत्येक माह की 12 तारीख तक संलग्नक–ग पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को संकलित रूप से विवरण उपलब्ध करायेंगे।

5– योजना से संबंधित शासनादेश संख्या–1533/52–3–2013सा(30)/13, दिनांक 24.08.2013 में निर्धारित अन्य शर्तों / प्रकिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या–2831/सत्रह–म–2013/6–9(291)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक कृषि विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
4. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव
पशुधन एवं मत्स्य विभाग

संलग्नक—क

4— इन्टीग्रेटेड फिश फार्मिंग हेतु डिमांस्ट्रेशन साइट्स का विकास विषयक परियोजना

कुल लक्ष्य —50
अल्पसंख्यक आच्छादित लक्ष्य—10

क्र0	जनपद का नाम	वर्ष 2013—14 हेतु कुल निर्धारित लक्ष्य	31.07.2013 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि	कुल लक्ष्य के सापेक्ष अल्पसंख्यकों हेतु मात्राकरण
1	आजमगढ़	02	0	01
2	मऊ	02	0	0
3	बलिया	02	0	0
4	इटावा	02	0	01
5	गोरखपुर	02	0	0
6	महराजगंज	02	0	0
7	देवरिया	02	0	01
8	कुशीनगर	02	0	01
9	संतकबीरनगर	01	0	01
10	फैजाबाद	01	0	0
11	सुल्तानपुर	01	0	0
12	बाराबंकी	02	0	0
13	गोण्डा	02	0	01
14	बहराइच	02	0	01
15	श्रावस्ती	02	0	0
16	बरेली	02	0	0
17	पीलीभीत	02	0	0
18	बिजनौर	02	0	01
19	रायबरेली	02	0	0
20	सीतापुर	02	0	0
21	हरदोई	05	0	0
22	लखीमपुरखीरी	02	0	0
23	वाराणसी	02	0	0
24	गाजीपुर	02	0	01
25	जौनपुर	02	0	01
	योग	**50**	0	**10**

संलग्नक–ख

संबंधित विभाग द्वारा जनपदों से सूचना प्राप्त करने हेतु प्रपत्र

विभाग का नाम :

जनपद का नाम :

माह :

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं के भौतिक लक्ष्य का 20 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए मात्राकृत कराये जाने की योजना की मासिक समीक्षा का निर्धारित प्रारूप						
क0	योजना का नाम	अल्पसंख्यकों हेतु मात्राकृत वार्षिक लक्ष्य	इकाई	संदर्भित लक्ष्य के विरूद्ध माह में उपलब्धि	संदर्भित माह तक कमिक उपलब्धि	लक्ष्य के विरूद्ध कमिक उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

संलग्नक–ग

संबंधित विभाग द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजे जाने वाली संकलित सूचना का प्रपत्र

विभाग का नाम :
योजना का नाम : माह :

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं के भौतिक लक्ष्य का 20 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए मात्राकृत कराये जाने की योजना की मासिक समीक्षा का निर्धारित प्रारूप

क0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यकों हेतु मात्राकृत वार्षिक लक्ष्य	इकाई	संदर्भित लक्ष्य के विरूद्ध माह में उपलब्धि	संदर्भित माह तक कमिक उपलब्धि	लक्ष्य के विरूद्ध कमिक उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
	योग :					